


(परिशिष्ट)

विधान सभा - उत्तरांचल प्रदेश क्रमांक 96
 द्वारा - श्री मयूषक सिंह पटेल, एडवोकेट से डाल्ट - 17/3/23
 श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया जिला-खंडवा के राखड बांध के प्रथम चरण के लेगून क्रमांक 01 के समीप स्थित कृषकों की
 भूमि में रिसाव के कारण हुए फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान का विवरण

क्र.	माह/वर्ष	प्रभावित कृषकों की संख्या	राशि	धनादेश क्र. एवं दिनांक	कार्यालय का नाम जहां धनादेश भुगतान/वितरण हेतु जमा किया गया	टिप्पणियाँ
01	जून -2017	53	₹.474970/-	धनादेश क्र. 784247 दिनांक 22.06.2017	अनुविभागीय अधिकारी पुनासा	
02	नवम्बर-2018	84	₹.751480/-	धनादेश क्र. 048459 दिनांक 13.11.2018	अनुविभागीय अधिकारी पुनासा	
03	जुलाई-2020	96	₹.848220/-	धनादेश क्र. 220986 दिनांक 20.07.2020	अनुविभागीय अधिकारी पुनासा	
04	जुलाई-2021	91	₹.808920/-	धनादेश क्र. 336358 दिनांक 29.06.2021	तहसीलदार पुनासा	अनुविभागीय अधिकारी पुनासा के पत्र क्र. 642/ प्रवा /2021 पुनासा दिनांक 19.03.2021 द्वारा रबी एवं खरीफ की फसलों की क्षति का आकलन कर मुआवजा राशि ₹. 1617840/- का निर्धारण किया गया था। विचारोपरत सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर एक फसल चक्र हेतु राशि ₹. 808920/- का धनादेश जमा किया गया है।


 अनुविभागीय अधिकारी
 कृषि विभाग
 राजस्व, म.प्र. शासन, भोपाल